न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2018

अपीलाण्ट्स

1. वरदाराम पुत्र वगताजी जाति पुरोहित निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही
2. मगनलाल पुत्र वगताजी जाति पुरोहित निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मोहनलाल पुत्र तोलाराम
2. छगनलाल पुत्र तोलाराम
3. अचलाराम पुत्र केराजी
4. टेपाराम पुत्र देवाराम
5. भगाराम पुत्र बगाजी
6. वबताराम पुत्र भारताजी
7. शंकरलाल पुत्र वगताजी
8. बाबुलाल पुत्र भारताजी
9. लीलाराम पुत्र होबाजी
10. मोहनलाल पुत्र कपुराराम
11. लसाराम पुत्र मुलाराम जातिगण माली निवासीगण जावाल
12. दिलीपसिंह पुत्र भीमसिंह
13. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
14. राजुसिंह पुत्र करणसिंह
15. प्रवीणसिंह पुत्र करणसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण जावाल
16. कन्हैयालाल पुत्र गुलाबदास जाति संत निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री राजेन्द्रपुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

दिनांक : 15.11.2018

———0———

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 198/2017 वरदाराम वगैरा बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के संलग्न रेस्पोडेन्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते है, जिन्हे वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा दादरसी के अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए धारा 212 के प्रार्थना पत्र में रास्ते का अनुतोष प्रदान किया, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 558 में से होकर रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध है, इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते है, जिन्हे रूकवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में पाईप लाईन डाल दी थी, जिसकी आड में वे भूमि से रास्ता निकालना चाहते है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका निरीक्षण किया है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में किया गया है, जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। जैर अपील आदेश के पेज संख्या 9 में जिन खसरा नम्बरान् की भूमि में रास्ता अवस्थित होना बताया गया है, वह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ही नहीं है, इसके बावजूद भी विधि विरूद्ध रूप से आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में न तो रास्ता है एवं न ही कभी था। उक्त भूमि का पूर्व में खातेदारान् द्वारा विभाजन किया गया है, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मौके पर नाप चौक कर भूमि का विभाजन किया है, विभाजन के अनुरूप नक्शा आदि तैयार किया गया, जिसमें कहीं भी कोई रास्ता दर्शित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से पुराना रास्ता होना माना है, जो गलत है। सहायक कलक्टर को सुखाधिकार या रास्ते के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स की ओर से किसी प्रकार का काउण्टर प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता तरमीम करने का आदेश पारित किया गया है तथा तहसीलदार सिरोही को रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिए है, जबकि पूर्व में तहसीलदार सिरोही का प्रस्ताव खारिज़ हो चुका था, उक्त आदेश के अस्तित्व में रहते, जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

के पक्ष में होने के बावजूद भी जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की भूमि में से रेस्पोडेन्ट को रास्ता दिये जाने की मंशा से अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0बी0जे0 2016 पेज 351, आर0बी0जे0 1999 पेज 454, आर0बी0जे0 205पेज 355, आर0बी0जे0 2012 पेज 420 तथा आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 511 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए है, वे प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं, ये समस्त सिद्धान्त कदीमी रास्ते के सम्बन्ध में है, जबकि प्रकरण हाजा में तथ्य पृथक है। जैर अपील विवादित आराजी पर कदीम से रास्ता चल रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट की तारबन्दी को नहीं तोड़ा गया है। अपीलाण्ट द्वारा समस्त खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नहीं किया है, जबकि समस्त काश्तकारों को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जबरन रास्ता निकाला है, जो गलत है, क्योंकि जब पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, तो नया रास्ता निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है, जैर अपील विवादित आराजी पर कदीम से रास्ता उपलब्ध है, जो 60–70 वर्ष पुराना है। उक्त रास्ते के अलामात गूगल मैप में भी स्पष्ट दर्शित है। इस रास्ते का उपयोग करना रेस्पोडेन्ट का सुखाधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट तलब की है एवं स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है, जिसमें मौके पर कदीम से रास्ता चलने की ताईद होती है। वरदाराम द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें इसी खसरे में रेस्पोडेन्ट की पाईप लाईन बताया है, यदि रास्ता नहीं होता, तो पाईप लाईन कैसे डालते। पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया गया है, उसमें रास्ते की पुष्टि होती है। अपीलाण्ट पुलिस रिपोर्ट, भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्टों को नकार नहीं सकते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते के उपयोग करने से अपीलाण्ट को कोई क्षति नहीं हो रही है, कानूनन सुखाधिकार के जरिये रेस्पोडेन्ट उक्त रास्ते के उपयोग करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जो नजीरें प्रस्तुत की है, वे हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में गूगल मैप का सहारा लिया है, जबकि गूगल मैप में खसरा नम्बर अंकित नहीं होते है, इस कारण उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। जिस तारबन्दी को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट की बताया जा रहा है, वह अपीलाण्ट के पडौसी खातेदार की है। पटवारी की रिपोर्ट मात्र एक विवादित खसरे की है, जो वर्ष 2016 में तैयार की गई है, इसमें जो रास्ता दर्शित है, वह लिंक रास्ता है। रेस्पोडेन्ट की गतिविधियों से अपीलाण्ट प्रभावित हो रहा है, इस कारण अपीलाण्ट्स द्वारा वाद एवं अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर आई है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

तैयार हुई है, जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी निर्णय पारित करने से एक दिवस पूर्व मौका निरीक्षण किए जाने का क्या औचित्य था ? यह कहीं भी अंकित नहीं है एवं उक्त मौका निरीक्षण भी अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में किया गया है, उसके पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा जावाल के खसरा नम्बर 962, 2271/563, 2272/560, 2276/574, 2277/574, 2279/715, 2280/714 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने के कारण रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि में आवागमन हेतु सिरोही से जावाल मुख्य सड़क पर रामापीर पेट्रोल पम्प के सामने से खेतों एवं कुओं पर आने जाने का करीब 20 फुट चौडा कदीमी रास्ता स्थित है, जो खसरा नम्बर 574, 2196/573, .2197/573, 2198/573, 569, 610, 609, 608, 606, 607, 618, 631, 632, 636, 637 व 639 की भूमि में से गुजरता है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट्स परम्परागत रूप से आवागमन करते है। इस कारण उक्त रास्ते का रेस्पोडेन्ट को सुखाधिकार प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेतों में पानी ले जाने हेतु इसी रास्ते की भूमि में 4 फीट भीतर पाईप लाईन डाली हुई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं की है। रास्ते की भूमि, अपीलाण्ट की खातेदारी में नहीं आती है। प्रकरण में मुख्य रूप से जो विवाद दृष्टिगोचर होता है, वह प्रथम – यह कि जैर अपील विवादित रास्ते की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी है अथवा नहीं ? द्वितीय जो पाईप लाईन डाली गई है, वह अपीलाण्ट की खातेदारी में है अथवा नहीं ? तृतीय जो महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु है, वह यह है कि क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत विचाराधीन प्रकरण में अधिनियम की धारा 251 से सम्बन्धित अनुतोष प्रदान करने की कार्यवाही के निर्देश दिए जा सकते है अथवा नहीं ? इन तीनों बिन्दुओं पर ही सम्पूर्ण प्रकरण आधारित है। प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जिस रास्ते का जिक्र किया गया है, वह निर्विवादित रूप से अपीलाण्ट्स की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2276/574 व 2277/574 में से होता हुआ खसरा नम्बर 639 तक जाता है, यह स्थिति पटवारी हल्का की रिपोर्ट, जो दिनांक 09.06.2017 को उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं मौका फर्द दिनांक 01.06.2016 से स्पष्ट होती है। जैर अपील निर्णय के पेज संख्या 8 के चरण संख्या 4 में यह अंकित किया कि "विचारण प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

विवादित रास्ते की भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 08.05.2018 को संबंधित पटवारी हल्का जावाल को मय रेकर्ड साथ रखकर मौका निरीक्षण किया।" उक्त तथ्य के समर्थन में न तो मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं न ही अन्य कोई साक्ष्य है, जो मौका निरीक्षण की ताईद करती हो। इसके अतिरिक्त भी पूर्व में जो मौका निरीक्षण आदि हुए है, उनसे यह साबित होता है कि उक्त रास्ते की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसके अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। हालांकि प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को रेखांकित किया जाना था। जिन्हे जैर अपील निर्णय में विवेचित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये तहसीलदार सिरोही को राजस्व ग्रुप–6 के परिपत्र क्रमांक प03 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के निर्देशों की पालना में अप्रार्थीगण को रास्ता दिलाए जाने के सम्बन्ध में उक्त परिपत्र के निर्देशानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने संबंधी नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करवाकर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए। जबकि जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्व ग्रुप–6 के परिपत्र क्रमांक प03 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के निर्देशों की पालना में रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/334 दिनांक 12.09.2017 के द्वारा मामले को राजस्व न्यायालय में चाराजोही से संबंधित होने से रास्ता चाहने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में तहसीलदार सिरोही के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया से रास्ता प्राप्त करने के आदेश पारित किए गए। चूंकि उक्त आदेश की समक्ष न्यायालय के समक्ष अपील नहीं होने के कारण आदेश अन्तिम हो चुका है, जिसके प्रभाव में रहते पुनः उसी परिपत्र के अनुक्रम में कार्यवाही के आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं था। इस कारण उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित जैर अपील निर्णय त्रुटीपूर्ण है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा समस्त सह खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नहीं किया है, जिसके कारण अपील को खारिज़ किया जावे। उक्त तथ्यों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1074 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसके मुख्य बिन्दुओं में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "All the co-sharers of the land in question are the necessary party." उक्त सिद्धान्त जिस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में सन्दर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है, उसमें खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश के वाद में समस्त पक्षकारान् को पक्षकार नहीं बनाए जाने को विधि विरूद्ध माना है, क्योंकि उसमें सह–खातेदार के हिस्से को हटा दिया गया था। उक्त निर्णय अवश्य ही सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण धारा 212 का है, जिसमें उन व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है, जिनसे किसी प्रकार की हानि संभावित हो। प्रकरण हाजा में किसी भी रूप में हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। लिहाजा उक्त सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होता है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है, वे रास्ते की ताईद करते है, किन्तु जैर अपील आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के तीनों बिन्दुओं को विवेचित किए बगैर विधि विरूद्ध रूप से रास्ते बाबत अनुतोष प्रदान किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जाना समर्थन योग्य नहीं है। हालांकि रास्ते हेतु प्रभावित पक्षकार पृथक से सन्दर्भित कानून के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है, किन्तु जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते हेतु प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। जहां तक धारा 212 का प्रश्न है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में यह प्रावधान वर्णित है –

"**212. Provision for injunction and appointment of a receiver**— (1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —

(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be"

इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उक्त आदेश अस्थाई व्यादेश एवं वादकालीन आदेश बाबत प्रक्रिया से सम्बन्धित है। जब पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है, तब विरोधी पक्षकार के अपकृत्य को तत्काल रोकने की आवश्यकता होती है। यदि कोई पक्षकार विवादित आराजी को क्षति पहुँचाने का कार्य करता हैं या ऐसे कार्य करने की धमकी देता हैं, तो निश्चित ही यह कृत्य दूसरे पक्षकार के लिए अपूर्णीय क्षति का कृत्य होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु यथोचित आदेश पारित करें। जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है, तो प्रथम दृष्टया मामले से तात्पर्य उस मामले से है, जिसमें उसके समर्थन में दी गयी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके।, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस मामले को पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया है, बल्कि जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके एवं विरोधी उसे खण्डित नहीं कर सके। ऐसा मामला प्रथम दृष्टया मामला कहा जाएगा। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी को अपीलाण्ट की स्वयं की खातेदारी भूमि बताया है, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा नकारा नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि राजस्व रेकर्ड से भी होती है। अब मात्र उक्त भूमि से आवागमन की आड़ में यदि रेस्पोडेन्ट अपीलाण्ट की कृषि संक्रियाओं को प्रभावित करते है, तो हर प्रकार से क्षति तो अपीलाण्ट की ही होगी। जहां तक रास्ते के उपयोग उपभोग का प्रश्न है, तो इस बिन्दु का निस्तारण प्रकरण हाजा में नहीं किया जा सकता है, किन्तु टाईटल अपीलाण्ट के पक्ष में होने, अपीलाण्ट की कृषि संक्रियाऐं प्रभावित होने तथा उपरोक्त परिस्थितियां रेकर्ड पर होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं को अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

माना है, जो समर्थन नहीं हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 198/2017 वरदाराम वगैरा बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक जैर अपील विवादित आराजी के भौतिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें एवं अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में किसी भी रूप में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही